उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

01 जनवरी, 2024 ई0

उविनिआ, (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) (तृतीय संशोधन) विनियम 2024

सं0 UERC/F-9(30)(iii)/RG/UERC/2023-24/1025: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा 2 (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के साथ पठित, तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, तथा पूर्व प्रकाशन के उपरान्त उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश) विनियम, 2019' (मूल विनियम) एवं संशोधनों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः–

1 संक्षिप्त नाम, उपयुक्तता, प्रारम्भ व निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024 होगा।

(2) ये विनियम पूरे उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम उत्तराखण्ड के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों) पर उनके सम्बन्धित अनुज्ञप्ति–क्षेत्र में लागू होंगे।

(4) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(5) ऐसे शब्दों व वाक्यांश का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त तो हुए हैं, पर उनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में उनकी व्याख्या की गई है, तो यहाँ भी उन शब्दों व वाक्यांशों का वही अर्थ माना जाएगा।

(यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2 मुख्य विनियम 2.2 के उप नियम (2) एवं इसके पश्चात् के संशोधनों को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:

"तकनीकी सदस्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जो अधीक्षण अभियन्ता से नीचे के पद का न हो व इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो तथा जिसके पास डिस्ट्रीब्यूसन यूटीलीटी में काम करने का कम से कम 15 वर्ष का समग्र अनुभव हो, अथवा इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का कम से कम 20 वर्ष का समग्र अनुभव हो,

परन्तुक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीन कार्यरत ऐसा अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता के पद से नीचे का न हो तथा उस क्षेत्र में कार्यरत हो, जो उस फोरम के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए सदस्य की आवश्यकता है, को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य की नियुक्ति तक कार्य प्रभार दिया जा सकता है।"

3 मुख्य विनियम 2.4 के उप नियम (4) एवं इसके पश्चात् के संशोधनों को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:

"न्यायिक व उपभोक्ता सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएँगे, तथा न्यायिक सदस्य फोरम के प्रशासनिक प्रमुख होंगे, बशर्ते, वह एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो, अन्यथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् तीनों सदस्यों में से किसी एक सदस्य को वरियता और उपयुक्तता के आधार पर अध्यक्ष के रूप में नामित किया जायेगा।"

4 मुख्य विनियम 2.5 के उप नियम (3) एवं इसके पश्चात् के संशोधनों को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:

"कोई भी सदस्य वितरण अनुज्ञापी को कम से कम 03 माह का नोटिस दे कर अपना पद त्याग सकता है जिसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को दी जायेगी। यदि आयोग किसी फोरम के किसी सदस्य/सभी सदस्यों के कार्य से संतुष्ट नहीं है, और उसकी धारणा है कि यह निष्कासन उपभोक्ताओं के हित के लिए तथा उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए आवश्यक है, तो आयोग ऐसे सदस्य/सदस्यों को एक माह का लिखित नोटिस अथवा नोटिस अवधि हेतु 01 माह का वेतन दे कर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को फोरम के उस सदस्य/उन सदस्यों को हटाने के लिए निर्देश दे सकता है।

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव।